भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2821
जिसका उत्तर बुधवार, 5 अगस्त, 2026 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

2821. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान में चल रहे ईरान-इजरायल संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की घरेलू कीमतों में वृद्धि का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की खरीद, भंडारण और वितरण संबंधी व्यय में ईंधन और परिवहन की अधिक लागत के कारण कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दालों, खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर ईंधन के मूल्य वृद्धि से उत्पन्न महंगाई के प्रभाव की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे कितने मामले सामने आए हैं जहां ईंधन की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण बफर स्टॉक जारी करने, मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हस्तक्षेप करने, या आयात शुल्क में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी थी; और

(ङ) सरकार द्वारा भू-राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न महंगाई, जिससे ऊर्जा की कीमतें प्रभावित होती हैं, से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग): सरकार देशभर में स्थित 579 मूल्य निगरानी केन्द्रों द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने वाले 41 खाद्य वस्तुओं के मूल्यों की दैनिक निगरानी करती है। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संघर्ष को देखते हुए, सरकार ने पश्चिम एशिया स्थिति के प्रभाव का आकलन एवं निगरानी करने तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए सात अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों एवं आपूर्ति पर गठित अधिकार प्राप्त समूह, जिसमें उपभोक्ता मामले विभाग, औषधि विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग शामिल हैं, इन सात सशक्त समूहों में से एक है। यह समूह आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों की निगरानी करता है तथा उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों पर विचार-विमर्श करता है।

दैनिक मूल्य रुझानों के अनुसार, पश्चिम एशिया में हाल के संघर्ष तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के बावजूद वर्ष 2025-26 में 3,765.63 लाख टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन तथा सरकार के पास उपलब्ध पर्याप्त भंडार के कारण अनाज एवं दालों जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। प्रमुख सब्जियों में आलू की कीमतें उल्लेखनीय रूप से स्थिर बनी हुई हैं, जबकि टमाटर एवं प्याज की कीमतों में मामूली मौसमी उतार-चढ़ाव देखा गया, फिर भी वे अधिकांशतः एक सीमित दायरे में बनी रहीं। खाद्य तेलों के संबंध में, भारत की आयात पर निर्भरता के कारण इनके मूल्य वैश्विक बाजार के रुझानों के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं।

(घ) और (ङ): सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं उपलब्धता पर निरंतर कड़ी निगरानी रखती है। यह समिति आवश्यक कृषि एवं बागवानी वस्तुओं की कीमतों की स्थिति तथा उनके संभावित रुझानों की नियमित समीक्षा करती है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा निर्यात-आयात नीतियों के युक्तिसंगतकरण के माध्यम से उनकी उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है।

मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बफर में उपलब्ध दालों को उपलब्धता बढ़ाने और बाजार मूल्यों को कम करने के लिए विनियमित रूप से जारी किया जाता है। लाख टन शामिल हैं। बाज़ार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफ़र स्टॉक से दालें जारी की जाती हैं। बफर स्टॉक के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप से मार्केट प्लेयर्स को कीमतें कम करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है। दाल का बफर स्टॉक मार्केट प्लेयर्स द्वारा बेईमान जमाखोरी और हेराफेरी के खिलाफ भी एक निवारक के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, पीएसएफ बफ़र से कुल 4.04 लाख टन दालें खुले बाज़ार में बिक्री के माध्यम से जारी की गईं। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी कल्याणकारी स्कीमों के लिए मांग और उपलब्धता के अनुसार निरंतर दालों की आपूर्ति की गई। प्याज के संदर्भ में, 2025-26 के दौरान रबी-2025 की कुल 2.87 लाख टन फसल खरीदी गई। रबी और खरीफ प्याज की फसलों के बीच की अवधि में, जब संग्रहीत रबी प्याज खत्म होने के कारण कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, तब प्याज का बफर स्टॉक कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कमी वाले मौसम के दौरान बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकारी बफर से प्याज को नियमित और लक्षित तरीके से खुदरा और थोक बिक्री के माध्यम जारी किया जाता है।

ऊर्जा कीमतों को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण उत्पन्न महंगाई से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने कीमतों की निगरानी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय एवं चोरबाजारी निवारण अधिनियम, 1980 के प्रवर्तन की निगरानी हेतु एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। मूल्य स्थिरता बनाए रखने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के संबंध में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों तथा राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर उन्हें संवेदनशील बनाया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को एलपीजी से संबंधित शिकायतों की गहन निगरानी के लिए सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में, कृषि-खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्यान्नों की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और एलपीजी से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों में कोई वृद्धि नही हुई है।
